रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1999/अग्रहायण 10, 1921
No. 742] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1999/AGRAHAYANA 10, 1921

SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1999

संख्या 37 (आर.ई.-99)/1997—2002

का. आ. 1209 (अ).—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-99 तक किए गए संशोधन सम्मिलित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-99 तक किए गए संशोधन सम्मिलित) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

निर्यात और आयात मदों, (1997-2002) के आई. टी. सी. (एच.एस.) वर्गीकरणों (31 अगस्त, 1998 तक के संशोधनों सहित) की अनुसूची- 2, सारणी-ख में आई टी सी (एच एस) कोड संख्या 0703 पर उल्लिखित प्रविष्टि में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

0703 प्याज-सरणीबद्ध—(1) अधिसूचना की तारीख से अगले दो महीनों हेतु 31-1-2000 तक सभी किस्मों के 1,00,000 मीट्रिक टन प्याज की कुल मात्रा का निर्यात करने की अनुमति होगी। कुल मात्रा 100,000 मीट्रिक टन में से निम्नलिखित एजेंसियों को नीचे उल्लिखित अनुसार मात्राओं का आवंटन किया जाएगा :—

(क) नैफेड को सीधे अथवा अपनी सहायक निर्यातक एजेंसियों के माध्यम से 40000 मीट्रिक टन का निर्यात करने की अनुमति होगी।

(ख) कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद संसाधन और निर्यात निगम लि. (के ए पी पी ई सी), बंगलौर और कर्नाटक राज्य सहकारिता विपणन संघ लि. (के एस सी एम एफ), बंगलौर, सीधे अथवा पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवेदकों के साथ निष्पक्ष और समान बर्ताव किया जा रहा है, प्याज की सभी किस्मों का अलग-अलग 10000 मीट्रिक टन निर्यात करेंगी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम एस ए एम बी) और गुजरात एग्रो उद्योग निगम (जी ए आई सी) सीधे अथवा पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवेदकों के साथ निष्पक्ष और समान बर्ताव किया जा रहा है, प्याज की सभी किस्मों का अलग-अलग 20000 मीट्रिक टन निर्यात करेंगे।

(2) समस्त निर्यातित प्याज पर नैफेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू होगा।

(3) ऊपर उल्लिखित एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि अब मंजूर की गई मात्राओं को निर्धारित समय यानी 31-1-2000 के भीतर निर्यात करना होगा।

(4) प्याज का निर्यात करने के अनुज्ञा-पत्रों में दलाली को समाप्त करने के लिए निर्यातकों का सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है।

(5) एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि प्याज की गुणवत्ता बनाए रखी जाए।

(6) जारी किए गए अनुज्ञा-पत्रों की साप्ताहिक रिपोर्ट नैफेड को उपलब्ध कराई जाएगी जो कि प्याज के निर्यात के बारे में भारत सरकार को सूचित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/162/430/एएम99/पीसी-III]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक
विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1999

No. 37 (RE-99)/1997—2002

S. O. 1209 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 31-3-99), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 31-3-99).

The following amendment shall be made in the entry at ITC(HS) Code No. 0703 in ITC(HS) Classifications of Export and Imports items, 1997-2002 (Incorporating amendments made upto 31st August, 1998) at Schedule-2, Table-B :

0703—Onion-Canalised—(i) A total quantity of 100,000 MT of all varieties of onion shall be allowed for exports for the next two months from the date of notification till 31-1-2000. Out of the total quantity of 100000 MT, the quantities shall be allocated to the following agencies as follows:

(a) NAFED is allowed to export 40000 MTs directly or through its associate shippers.

(b) Karnataka State Agriculture Produce Processing and Export Corporation Ltd., (KAPPEC), Bangalore and Karnataka State Cooperative Marketing Federation Ltd., (KSCMF), Bangalore are allowed to export 10000 MTs each of all varieties of onions either directly or through registered exporters ensuring that all applicants are receiving a fair and equal treatment.

(c) The Maharastra State Agriculture Marketing Board (MSAMB) and Gujarat Agro Industries Corporation (GAIC) are allowed to export 20000 MTs of all varieties of onion each either directly or through registered exporters ensuring that all applicants are receiving a fair and equal treatment.

(ii) All onions exported will be subject to a Minimum Export Price (MEP) fixed by NAFED.

(iii) The agencies named above shall ensure that the quantities released now are to be exported within the time prescribed i.e. 31-1-2000.

(iv) The careful selection of exporters is made to eliminate the trading in permits to export onions.

(v) The agencies shall ensure that quality of onions is maintained.

(vi) A weekly report of permits issued shall be provided to NAFED which shall act as a nodal agency to keep the Government of India informed of the outflows of onions.

This issues in public interest.

[F. No. 01/91/162/430/AM99/PC-III]

N. L. LAKHANPAL, Director General
of Foreign Trade and ex-offico Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999